# कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी–सह–दंडाधिकारी, रजौली (नवादा)।

## आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिला के रजौली अनुमंडल अंतर्गत सैरातों की बंदोवस्ती का सुरक्षित जमा निर्धारण वर्ष 2017–18 से 2019–2020 के लिए निम्नलिखित सैरातों की बंदोवस्ती वर्ष 2018–19 के लिए निम्नरूपेण खुला डाक द्वारा किया जाएगा, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

| क्र0 | अंचल का नाम | सैरात का नाम | सुरक्षित जमा राशि | 2017–18 में बंदोवस्त की राशि | सैरात बंदोबस्ती की निर्धारित तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (11 बजे पूर्वाह्न से) |
| 1 | रोह | रोह शब्जी बाजार | 97,750/– | – | 14, 15 एवं 16 मार्च 2018 |
| 2 | सिरदला | लौन्द चमोथा बाजार | 57,960/– | 61,000/– | 14, 15 एवं 16 मार्च 2018 |
| 3 | मेसकौर | सीतामढ़ी साप्ताहिक हाट | 50,255/– | – | 14, 15 एवं 16 मार्च 2018 |
| 4 | रजौली | अमावाँ साप्ताहिक हाट | 47,955/– | 76,050/– | 14, 15 एवं 16 मार्च 2018 |

बंदोवस्ती की भार्त्त निम्न प्रकार है :–

1. डाकवक्ताओं को निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत की राशि नकद अथवा बैंक ड्रॉफ्ट, जो अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली को भुगतेय हो, जमा करना होगा।
2. बंदोवस्ती खुला डाक पद्धति से की जाएगी।
3. डाक की बोली खोलकर डाक नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी।
4. बंदोवस्ती होने की स्थिति में बंदोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को बंदोवस्ती की राशि का 100 प्रतिशत डाक के तुरंत बाद ही जमा करना होगा, अन्यथा ली गई बंदोवस्ती रद्द कर दी जाएगी।
5. मेला/हाट/सब्जी बाजार में टाल की वसूली सरकारी नियमों के अनुकूल करना होगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती को स्थगित करने, बंदोवस्ती की तिथि बदलने अथवा बंदोवस्ती को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. उच्चतम डाकवक्ता को परवाना निर्गत करने के पूर्व एकरारनामा का निबंधन अपने व्यय पर करना होगा।
8. पूर्व के वर्षों में जिस व्यक्ति के नाम से बन्दोवस्ती हुई है और यदि इनके पास कोई भी राशि बकाया रह गई है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

ह० 26/02/2018

अनुमंडल पदाधिकारी,
रजौली।

ज्ञापांक 396 / दि0 26/2/18

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौली अनुमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि बंदोवस्ती हेतु अपने स्तर से व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी रोह, सिरदला, मेसकौर, रजौली को निदेश दिया जाता है कि विगत वर्ष के बंदोवस्तकार को भी सूचना का तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आम सूचना एवं इसके नियम/शर्त्तो को जिले के बेवसाईट www.nawada.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं अनुरोध के साथ प्रेषित कि दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रजौली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, नवादा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह० 26/02/2018

अनुमंडल पदाधिकारी,
रजौली।